संख्या:7/ 1369/12-2-2014-बजट.5/2012

प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 16 मई, 2014

विषय- कृषकों को उन्नतिशील प्रमाणित बीजों पर अनुदान हेतु धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या- एस0एफ0 02/लेखा-2/प्र0बीज अनु0 दिनांक 02 अप्रैल, 2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-103-बीज-04-प्रमाणित बीजों पर अनुदान (राज्य सेक्टर) के मानक मद-27-सब्सिडी योजनान्तर्गत आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 814400 हजार (रूपये इक्यासी करोड चौवालिस लाख मात्र) के सापेक्ष प्रथम चार माह हेतु रू0 271466 हजार (रूपये सत्ताइस करोड चौदह लाख छांछठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल कृषकों को उन्नतिशील प्रमाणित बीजों पर अनुदान दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-103-बीज-04-प्रमाणित बीजों पर अनुदान योजनान्तर्गत 27-सब्सिडी मद में प्राविधानित धनराशि रू0 814400 हजार के सापेक्ष रू0 271466 हजार (रूपये सत्ताइस करोड चौदह लाख छांछठ हजार मात्र) की धनराशि इस शर्त के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि व्यय की गयी धनराशि से संबंधित लाभार्थियों की सूची विभाग की वेबसाइट पर डाली जायेगी तथा प्रकरण में निर्गत कार्य योजना से संबंधित शासनादेश संख्या: 3164/12-2-2012-बजट.5/2012 दिनांक 04 अक्टूबर, 2012 में दिये गये प्राविधानों का अनुपालन किया जायेगा।

3. यह स्पष्ट किया जाता है कि स्वीकृत धनराशि में से उतनी ही धनराशि का आहरण किया जायेगा, जितनी धनराशि की आवश्यकता होगी।

4. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशियों का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

5. उक्त मद में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11

http://shasanadesh.up.nic.in

के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-103-बीज-04-पमाणित बीजों पर अनुदान के अन्तर्गत 27-सब्सिडी मानक इकाई के नामें डाल जायेगा।

6. 7. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुदान संख्या-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या- बी-1-795/दस-2014'231/2014 दिनांक 14 मार्च, 2014 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किए जा रहे हैं। इसकी प्रति विभागाध्यक्षों को भी पृष्ठांकित है। अत: इसमें निहित निर्देशों का अक्षरश: पालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

इन्द्रदेव पटेल
संयुक्त सचिव।

संख्या: 7/1214(1)/12-2-2014 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/लेखा परीक्षा, प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
3. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. अपर कृषि निदेशक, बीज एवं प्रक्षेत्र द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
6. वित्त ई-1/नियोजन-3/कृषि अनुभाग-3/5/बजट अनुदान-1/2
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

इन्द्रदेव पटेल
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in